38—(08)—40—2015

पटना में दिनांक—19 फरवरी, 2015 वृहस्पतिवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

	संसदीय कार्य विभाग	
1.	पंचदश बिहार विधान सभा के षोडश सत्र में दिनांक—20 फरवरी, 2015 को मंत्रिपरिषद् द्वारा विश्वास प्राप्त करने के संबंध में।	1. स्वीकृत।
	पंचायती राज विभाग	
2.	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के मानदेय में बढ़ोत्तरी हेतु बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	2. स्वीकृत।
	पंचायती राज विभाग	
3.	ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति के संबंध में।	3. स्वीकृत।
	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	
4.	नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई को श्री कृष्ण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई के रूप में नामाकरण किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	4. स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग	
5.	इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय हेतु गैर—योजना से वित्तीय वर्ष 2014—15 में द्वितीय किस्त के रूप में रू० 25,00,00,000/— (रूपये पच्चीस करोड़) मात्र के अनुदान की स्वीकृति।	5. स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग	
6.	योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार हेतु संसूचित कुल 41.2973 करोड़ रूपये (इकतालिस करोड़ उनतीस लाख तेहत्तर हजार) के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में 5.00 करोड़ रूपये आवंटनोपरान्त द्वितीय अनुपूरक आगणन के तहत शेष उपबंधित राशि 36.2973 करोड़ रूपये (छत्तीस करोड़ उनतीस लाख तेहत्तर हजार) में से 18,91,17,000/— रूपये मात्र विमुक्ति/आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।	6. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

7. पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा भू–अर्जन एवं व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में राशि 12.50 करोड़ रूपये (बारह करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

8. बिहार राज्य के अन्तर्गत विभिन्न पर्वतों यथा मंदार पर्वत बांका, रोहतासगढ़ किला रोहतास, वाणावार पर्वत जहानाबाद, डोंगेश्वरी पर्वत बोधगया, ब्रहमयोगी पर्वत गया, प्रेतशिला पर्वत गया एवं मुण्डेश्वरी पर्वत कैमुर पर आकाशीय रज्जू पथ की स्थापना एवं संचालन संबंधी योजना का कार्यान्वयन राईट्स लि०, गुड़गॉव के माध्यम से Turn Key के आधार पर मनोनयन कर कार्य कराने की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

—: अन्यान्य :—

गृह विभाग

9. मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर शहर में एक ट्राफिक थाना सृजन करने के लिए सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया।

योजना एवं विकास विभाग

10. सांख्यिकी स्वयं सेवकों की समस्या के अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया।

योजना एवं विकास विभाग

11. बिहार में युवा नीति (Youth Policy) बनाने के लिए सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया।

ग्रामीण विकास विभाग

12. विकास मित्र एवं टोला सेवकों का 25 वर्ष तक सेवा लेने का निर्णय लिया गया।

पर्यटन विभाग

13. मधुबनी में सौराठ मेला को राजकीय मेला के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया।

पथ निर्माण विभाग

14. 25 लाख तक के संविदा (Contract) के कार्यों में पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं महिला निविदादाताओं को आरक्षण का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग

15. बिहार राज्य के तर्ज पर ई०बी०सी० एवं ओ०बी०सी को केन्द्रीय सेवा में आरक्षण का लाभ देने हेतु राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को अनुरोध पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

16. सभी सरकारी महाविद्यालय, जहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, आवश्यकतानुसार उर्दू शिक्षक बहाल करने का निर्णय लिया गया।

गृह विभाग

17. सीतामढ़ी जिला के सुरसण्ड थाना अन्तर्गत कुम्मा में एक ओ०पी० स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण विभाग

18. अति पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम की स्थापना के संबंध में सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया।

अनु० जाति जन जाति कल्याण विभाग

19. सफाई मजदूरों के कल्याण के लिए सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

20. प्रखण्ड पुर्नगठन संबंधी मंत्रिमंडल उप समिति की अनुशंसा के आधार पर नये प्रखण्डों के सृजन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग

21. दिनांक–18.02.2015 के मद संख्या–12 को संशोधित करते हुए वैशाली जिला के ग्राम–नगमा, प्रखण्ड–पटेढ़ी बेलसर में गुलजार फार्म के नजदीक एक ओ०पी० स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रामीण विकास विभाग

22. दिनांक–18.02.2015 के मंत्रिपरिषद् के निर्णय के मद संख्या 24 का संशोधित कर लेखा सहायक–सह–डाटा इंट्री ऑपरेटर के साथ–साथ कनीय अभियंता एवं पंचायत तकनीकी सहायक के नियुक्ति होने पर भी अधिमानता देने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा विभाग

23. दिनांक–18.02.2015 के मंत्रिपरिषद् के निर्णय के मद संख्या 18 एवं 28 को संशोधित करते हुए सहजानन्द सरस्वती तथा कपूरी ठाकुर शोध संस्थान एवं शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संस्थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया।